

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

(पीठासीन अधिकार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पंचाडिक्री

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट का स्थान :- सरायफला

उनवान

बनाम

रामपाल ठाकुर

कृषि विज्ञान केंद्र

कारीगण

उदयपुर

दावा बाबत :- हुंडी इलाका

प्रकरण संख्या 276/16

निर्णय दिनांक 13-6-17

वादी की ओर से नकील नदी की व प्रतिवादी की ओर से मंडू की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13-6-17 को मंडू चन्द माल (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :- किसी दिन 598, 599 वाक

जहाँ सरायफला तहसील मुण्डावर (जिला कलकत्ता राज.) के वास्तविक वारीगण का हुंडी इलाका है सर्वे व सर्वे के लिए प्लान किया जाता है कि वे इस क्षेत्र के किसी भी वारीगण के कब्जे में किसी भी प्रकार से न जा सकें, न ही किसी प्रकार के कब्जे में न जा सकें। प्लान रहे। वाद डीके पंचाडिक्री का अन्तिम अंश रहे।

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13-6-17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज.  
(प्रो. शैलेंद्र भाग)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	- Nil -	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	- Nil -
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. _____ रुपये पर प्लीडर की फीस	
4. _____ रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. कमिश्नर की फीस	
6. कमिश्नर की फीस		6. आदेशिका की तामील	
7. आदेशिका की तामील			
योग		योग	

उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज.